भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2504

जिसका उत्तर गुरुवार, 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है

न्यायिक अवसंरचना के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

2504 श्री के. सी. राममूर्ति :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा न्यायिक अवसंरचना के लिए लागू की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान न्यायिक अवसंरचना के लिए किए गए आवंटनों तथा उसके उपयोग का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं कर रहे हैं ;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा राज्यों को इस धनराशि का उपयोग करने और निचली अदालतों में अवसंरचना विकसित करने के लिए मनाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ; और

(ङ) प्रस्तावित भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण से इस मुद्दे को हल करने में किस हद तक सहायता मिलेगी ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास की प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों के साधनों को बढ़ाने के लिए, संघ सरकार विहित निधि साझा पैटर्न में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के द्वारा न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को क्रियान्यवित किया है। यह स्कीम 1993-94 से क्रियान्वित की जा

रही है। इसमें जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय आवासों का निर्माण सम्मिलित है। इसके आरंभ से स्कीम के अधीन अब तक 8758.71 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जिसमें से रु. 2014-15 से अब तक 5314.40 करोड़ रुपए (60.68%) जारी किए जा चुके हैं। 9000 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ जिसके अंतर्गत 5307.00 करोड़ रुपए की केंद्रीय हिस्सेदारी भी है, स्कीम को 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। न्यायालय हॉल और आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के अलावा, इस स्कीम में अब जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में वकीलों के हॉल, डिजिटल कंप्यूटर रूम और शौचालय परिसरों का निर्माण भी सम्मिलित है। स्कीम के दिशानिर्देशों को भी तदनुसार 19.08.2021 को पुनरीक्षित किया गया है।

स्कीम के अधीन परियोजनाओं की प्रास्थिति की निगरानी के लिए तीन व्यापक निगरानी तंत्र अर्थात राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय स्तरीय निगरानी समिति, न्याय विभाग में केंद्रीय स्तर की निगरानी समिति जिसकी हर छह महीने में बैठक करना अपेक्षित है और न्याय विकास ऑनलाइन निगरानी प्रणाली प्रदान की गई है।

निर्माण परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए, 2018 में "न्याय विकास" नामक एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया था। न्याय विकास मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके परिस्कीमओं की जियोटैगिंग ने न्यायिक अवसंरचना परियोजनाओं की बेहतर निगरानी में सहायता की है। मोबाइल ऐप का नया संस्करण अप्रैल 2020 में शुभारंभ किया गया था जो अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल है और आईओएस फोन के साथ-साथ एंड्रॉइड सिस्टम पर भी चलता है।

(ख): न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	आवंटित निधियां (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	उपयोग की गई निधियां/व्यय
2016-17	538.74	538.74
2017-18	620.21	620.21
2018-19	650.00	650.00
2019-20	982.00	982.00
2020-21	593.00	593.00
2021-22*	770.44	433.4576*

*21.03.2022 के अनुसार व्यय

(ग) और (घ) : कुछ राज्य कोविड महामारी के कारण निर्माण क्रियाकलापों में मंदी और केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन निधि जारी करने के लिए पुनरीक्षित सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) प्रक्रिया के अनुपालन में लगने वाले समय के कारण आवंटित धन का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। केंद्रीय सरकार व्यय में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ इस मामले को गंभीरता से लिया है। सभी राज्यों को पीएफएमएस और न्याय विकास जियोटैगिंग पर कई प्रशिक्षण देने के अलावा, अन्य समीक्षा बैठकों के अतिरिक्त इस वर्ष के दौरान केंद्रीय स्तर की निगरानी समिति की छह बैठकें भी आयोजित की गई हैं।

(ङ) : भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने न्यायिक अवसंरचना और न्यायालय सुविधाओं की स्थिति पर डाटा संकलित किया है । न्यायालयों के लिए पर्याप्त अवसंरचना की व्यवस्था के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेआईएआई) की स्थापना करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार अध्यक्ष सह संरक्षक के रूप में भारत का मुख्य न्यायाधीश एक शासी निकाय होगा। प्रस्ताव में अन्य मुख्य विशेषताएं यह हैं कि भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण सभी उच्च न्यायालयों के अधीन समान संरचनाओं के अतिरिक्त, भारतीय न्यायालय प्रणाली के लिए कार्यात्मक अवसंरचना की स्कीम, निर्माण, विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए रोड मैप तैयार करने में एक केंद्रीय निकाय के रूप में कार्य करेगा। प्रस्ताव विभिन्न राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया है, क्योंकि इस मामले पर विचार करने के लिए प्रस्ताव की रूपरेखा पर उनके विचारों के लिए वे एक महत्वपूर्ण पणधारी हैं।

****